

पत्रांक संख्या / 1311-13 / 2004,2005 दिनांक 23-6 - 2004

प्रत्यक्ष

पाल इन्टरनेशनल स्कूल
सीतापुर रोड लखीमपुर।

सारांशदेश संख्या : 20-10/15-6-12-(6)/71, दिनांक 25.4.1981, राजाज्ञा संख्या 230/15-6-96-18 एसा(7)/89 दिनांक 18.1.1996, राजाज्ञा संख्या 984/15-6-98-18 एसा(7)/89 दिनांक 28.1.1998, राजाज्ञा संख्या 1073/15.6.98.18 एसा(7)/89 दिनांक 13.7.1998 एवं राजाज्ञा संख्या 1073/15.6.98.18 एसा(7)/89 दिनांक 10.9.1998 ने निहित निर्देशानुसार आपके विद्यालय को बचीन स्थायी प्रकृति की मान्यता दिनांक 1.7.2003 से इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आप पांच वर्ष के भीतर पूर्ण स्थायी मान्यता हेतु शर्त पूरी करते हुये स्थायी मान्यता हेतु आवेदन कर दें। इस अवधि में यदि आप द्वारा निर्धारित शर्तें पूर्ण नहीं की जाती हैं तो मान्यता अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत आपकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

शर्तें: -

1. विद्यालय समिति का बचीनीकरण समय पर कराया जाये एवं बचीनीकरण की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराई जाये।
2. भूमि/भवन विद्यालय के नाम पंजीकृत कराया जाये।
3. पर्याप्त कीड़ा स्थल नहीं है, विद्यालय के नाम कीड़ा स्थल पंजीकृत कराया जाये।
4. सभी प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती कर इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
5. वैशिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाये एवं निर्धारित शुल्क ही लिया जाये। निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य प्रकार के शुल्क न लिये जायें।
6. अेलनमूद सामग्री, विज्ञान सामग्री व शिक्षण सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।
7. विद्यालय भवन में निर्धारित मानकों के अनुसार कक्षा कक्षों की व्यवस्था की जाये।

उक्त के अतिरिक्त यदि आप द्वारा इस कार्यालय द्वारा निर्गत/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है एवं विमान्तीय निर्देशों का

उल्लंघन पाया जाता है तो विद्यालय का मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा।

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-उत्तरी

पूरा/0 व दिनांक तय है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अग वैशिक शिक्षा अधिकारी पटना, उत्तरी।
2. सम्बन्धित सहायक वैशिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी।
3. कार्यालय आई फाइल हेतु।

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-उत्तरी